न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ

पीठासीन अधिकारी- श्री प्रदीप सिंह सांगावत (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- टी0ए0 39 सन 2022

पंजीयन दिनांक :- 04.08.2022

1. भंवर सिंह पुत्र प्रताप सिंह राजपूत निवासी ग्राम केलूखेड़ी तहसील रावतभाटा जिला चितौडगढ
2. हरिसिंह पुत्र प्रताप सिंह राजपूत निवासी ग्राम केलूखेड़ी तहसील रावतभाटा जिला चितौडगढ
3. जुगराजसिंह पुत्र डूंगर सिंह राजपूत निवासी ग्राम केलूखेड़ी तहसील रावतभाटा जिला चितौडगढ
4. पुष्पेन्द्रसिंह पुत्र डूंगर सिंह राजपूत निवासी ग्राम केलूखेड़ी तहसील रावतभाटा जिला चितौडगढ
5. भरतसिंह पुत्र डूंगर सिंह राजपूत निवासी ग्राम केलूखेड़ी तहसील रावतभाटा जिला चितौडगढ
6. लोकेन्दसिंह पुत्र तेज सिंह राजपूत निवासी ग्राम केलूखेड़ी तहसील रावतभाटा जिला चितौडगढ
7. गजेन्द्रसिंह पुत्र भंवर सिंह राजपूत निवासी ग्राम केलूखेड़ी तहसील रावतभाटा जिला चितौडगढ

-अपीलांटगण

विरूद्ध

1. अमरेन्द्र सिंह पुत्र छत्रसिंह राजपूत निवासी सी-1, बसंत विहार, आदित्य नगर, मोड़का गांव, तहसील रामगंजमण्डी, जिला कोटा
2. तहसीलदार रावतभाटा जिला चितौडगढ

-रेस्पोडेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनयम, 1955 विरूद्ध निर्णय व आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा बमिसल क्रमांक प्रकरण संख्या 22/2022 आदेश दिनांक 19.07.2022

उपस्थित- 1. खुमराज कुमावत- अधिवक्ता अपीलान्टगण
2. छोगालाल जाट- अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1
3. पूरणमल स्वर्णकार- राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 2

निर्णय

दिनांकः-20.12.2023

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलाट्गण विपक्षीगण ने इस न्यायालय में अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय के द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत मौजा केलूखेडी तहसील रावतभाटा की खाता संख्या 5 में दर्ज कृषि आराजी नम्बर 126,127,128 कुल किता 3 कुल रकबा 2.03 हैक्टर एवं मौजा केलूखेडी की खाता संख्या में दर्ज कृषि आराजी नम्बर 137 रकबा 4.75 हैक्टर एवं ग्राम केलूखेडी की खाता संख्या 3 मे दर्ज कृषि आराजी नम्बर 138 रकबा 4.80 हैक्टर इस प्रकार कुल 11.58 हैक्टर भूमि जो कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 प्रार्थी की खातेदारी की मानते हुए अपीलांट्गण विपक्षीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई।

अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय के द्वारा पारित अस्थाई निषेधाज्ञा के निर्णय व आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट्गण विपक्षीगण ने इस न्यायालय में अन्दन मियाद अपील प्रस्तुत की।

अपीलांट्गण विपक्षीगण की ओर से इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत होने पर बाद जांच दर्ज रजिस्टर की गई व रेस्पोडेन्ट्गण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ विचारण न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर हमकिता अपील की गई। पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने अपील में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट प्रार्थी के पिता छत्रसिंह ने अपीलांट्गण के पिता प्रतापसिंह डूंगरसिंह, तेजसिंह व भंवरसिंह को उक्त आराजियात 80,000 रू0 में विक्रय कर कब्जा सुपुर्द कर दिया तभी से अपीलांट्गण के पिता व उनके स्वर्गवास के पश्चात अपीलांट्गण उक्त कृषि आराजीयात अपीलांट्गण के पिता व उनके स्वर्गवास हो जाने के पश्चात अपीलांट्गण के कब्जे काश्त में चली आ रही है। बिना कब्जे के रेस्पोडेंट ने अधीनस्थ विचारण न्यायालय में कब्जेयाबी का वादपत्र प्रस्तुत किया फिर भी अधीनस्थ विचारण न्यायालय ने बिना कब्जे के रेस्पोडेंट संख्या 1 प्रार्थी के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने का निर्णय

व आदेश पारित किया है जो विधिसम्मत नही होने से अपीलांट्गण विपक्षीगण की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता रेस्पोर्डेट संख्या 1 ने बहस के दौरान अधीनस्थ विचारण न्यायालय की पत्रावली में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलार्थीगण विपक्षीगण ने बिना किसी आधार के रेस्पोर्डेट संख्या 01 प्रार्थी की कृषि आराजीयात पर अनाधिकृत कब्जा किया है। अपीलार्थीगण विपक्षीगण व उनके पिता को रेस्पोर्डेट प्रार्थी के पिता द्वारा कभी भी उनकी कृषि आराजीयात का विक्रय नही किया गया है। अपीलार्थीगण विपक्षीगण ने मौका देख कर रेस्पोर्डेट प्रार्थी की आराजीयात पर अनाधिकृत कब्जा किया है व उक्त कृषि आराजीयात को खुर्द बुर्द व स्वरूप परिवर्तन करने पर आमादा है। इन्ही तथ्यों के आधार पर रेस्पोर्डेट प्रार्थी को खातेदार होना मानते हुए अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलांट विपक्षीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की है। मूल वाद विचारण न्यायालय में जेरकार है जिससे अपीलार्थीगण विपक्षीगण की ओर से प्रस्तुत अपील निराधार होकर निरस्त किये जाने योग्य है।

पेरोकार सरकार रेस्पोर्डेट संख्या 02 ने अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय व आदेश रेकार्डेड खातेदार के पक्ष में मानते हुए अपीलार्थीगण विपक्षीगण की ओर से प्रस्तुत अपील निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की विधिपूर्ण बहस व न्यायालय हाजा व अधीनस्थ विचारण न्यायालय की पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन व मनन किया। अधीनस्थ विचारण न्यायालय न रेकार्डेड खातेदार के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र अतिक्रमीयों के विरूद्ध स्वीकार किये जाने का निर्णय व आदेश पारित किया है। अपीलार्थीगण विपक्षीगण ने अपनी बहस के दौरान यह तथ्य इस न्यायालय के समक्ष निवेदन किया है कि रेस्पोर्डेट के पिता ने अपीलार्थीगण विपक्षीगण के पिता को उक्त कृषि आराजीयात विक्रय कर कब्जा सुपुर्द किया है जबकि अधीनस्थ न्यायालय व इस न्यायालय में ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली पर प्रस्तुत नही किया है जिससे यह तथ्य साबित हो कि अपीलार्थीगण प्रार्थीगण का अवैध कब्जा नही होकर वैध कब्जा है जिससे अपीलार्थीगण विपक्षीगण की ओर से प्रस्तुत अपील सारहीन होने से स्वीकार योग्य नही है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा (राज.)

फलस्वरूप अपीलार्थीगण विपक्षीगण की ओर से प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा के प्रकरण संख्या 22/2022 प्रार्थना-पत्र निर्णय व आदेश दिनांक 19.07.2022 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 20.12.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होरक नम्बर से कम हो। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय व आदेश की सत्यप्रति के साथ अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय को पालना हेतु अविलम्ब लौटाई जावे।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
आर.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ